तारांकित प्रश्न संख्या 1148 के उत्तर में स्थगन आदेश जारी किया जाना स्वीकार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो एक ही मंत्रालय द्वारा दो प्रश्नों के परस्पर विरोधी उत्तर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्टेट बैंक आफ इंदौर के कर्मचारियों के मामले में गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को स्थगन आदेश जारी करने या यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है । सहायक श्रम आयुक्त (के॰) द्वारा दिनांक 4-6-1988 को जारी पत्र सलाह देने के उद्देश्य से जारी किया गया था । अतः दिनांक 2-8-1991 के राज्यसभा अतारांकित प्रश्न सं॰ 1803 का दिया गया उत्तर तथ्यतः सही था और यह दिनांक 6-5-1988 के राज्यसभा तारांकित प्रश्न सं॰ 1148 के दिये गये उत्तर के अनुरूप था ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Pension Scheme for Employees

2460. SHRI DEBABRATA BISWAS : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have since finalised the pension scheme for the employees; and

(b) if so, what are the details of the steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) No, Sir.

(b) A Bill to amend the EPF & MP Act, 1952 for empowering the Central Govt. to frame a Pension Scheme has been introduced in Rajya Sabha on 29-3-1993.

Financial Assistance to Labour Institutes in Maharashtra

2461. SHRI ADIK GOVINDRAO WAMANRAO : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the total amount of financial assistance given by Government to the various labour institutes and centres in Maharashtra during the last three years alongwith their names;

(b) whether any review of such grants has been made;

(c) whether Government propose to alter the aid formula; and

(d) whether the institutes are likely to suffer because of this ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) The grant-in-aid is provided the Labour Institutes and centres which are under the administrative control of the Central Government. In so far as Maharashtra is concerned, the grant-in-aid is issued to Central Workers Education (CBWE) with Headquarters at Nagpur in Maharashtra and Centres spread all over the country. The grants-in-aid released to CBWE during the last three years are given below :—

1990—91	Rs. 5,70,00,000
1991—92	Rs. 6,19,11,590
1992—93	Rs. 6,79,13,800

(b) to (d) The functioning of CBWE is reviewed periodically. A report on the functioning of the organisation, alongwith the annual report is also laid on the Table of both Houses of Parliament annually. A present, there is no proposal to alter the formula for release of grant-in-aid.

कृषि मजदूरों का शोषण

2462. श्री अजीत जोगी :
चौधरी हरि सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-संगठित मजदूरों, विशेष रूप से कृषि मजदूरों का शोषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रम संगठनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(घ) "न्यूनतम मजदूरी" और बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियमों का कार्यान्वयन न किए जाने के क्या कारण है;

(ङ) प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों से न्यूनतम मजदूरी अदा न करने के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) यद्यपि असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून विद्यमान हैं, जैसा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम जैसे अधिनियमों के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन की घटनाओं की सूचना मिली है।

(ग) औद्योगिक कानूनों के सम्बन्ध में श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित द्वि-पक्षीय समिति ने व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। औद्योगिक सम्बन्ध कानून पर रामानुजम समिति की सिफारिशों तथा 1992 में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा भारतीय श्रम सम्मेलन में हुये विचार-विमर्शों के आधार पर और औद्योगिक पुनर्संरचना के सम्बन्ध में गठित अन्तर्मंत्रालीय दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

(घ) से (च) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 25 अक्तूबर, 1975 से बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त कर दी गयी है। राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित कर रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन समुचित सरकारों ने प्रवर्तन तंत्र का गठन किया है, यह तंत्र आवधिक निरीक्षण करता है और जहां कहीं भी कानून के उल्लंघन की सूचना मिलती है यह नियोक्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है। राज्यवार कृषि कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी, प्रवर्तन तंत्र द्वारा किये गये निरीक्षणों और की गयी कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 39] केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में आवधिक संशोधन सुनिश्चित करने, परिवर्ती महंगाई भत्ता लागू करने और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किये जाने के लिए राज्य सरकारों पर जोर दिया है।

Representation Against Termination of services of ITDC Employees

2463. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) what are the details of representations received from All India ITDC workers federation relating to illegal termination of Hotel employee's services by Government undertakings;

(b) whether Chief Labour Commissioner of Central Government has taken up the issue with the concerned authorities about the termination of the services of 7 employees from Hotel Samrat by serving one day's notice;

(c) whether Government have not advised as yet to get the illegal orders of termination withdrawn; and

(d) if so, the facts and details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (d) Government have received a representation from All India ITDC workers Federation (Affiliated to INTUC), dated 30-6-93, regarding illegal termination of services of about 70 regular employees of Hotel Samrat, New Delhi, who were on the roll of the Hotel in its flight kitchen division. The Chief Labour Commissioner of the Central Government took up the issue with Delhi Administration, as the Government of the National Capital Territory of Delhi is the appropriate Government in this case and forwarded a copy of the representation to the Labour Commissioner, National Capital Territory of Delhi for necessary action. According to information received from Delhi Administration, on termination of the contract between Indian Airlines and ITDC for flight catering services, instead of terminating the services of the contractual employees and retrenching the regular employees, the ITDC management considered their case on humanitarian grounds and with a view to avoiding any hardship to them and as a gesture of goodwill, the contractual employees have been offered alternate employment on regular basis in different Hotels of ITDC. The contractual employees whose employment came to an end on 30-6-93 were given a letter by the Management on 30-6-93 itself informing them the name of the hotel unit in which they were being offered fresh regular appointment and they were advised to report for duty to the new units within 30 days starting from 1-7-93.

Protection of Child Labour

2464. SHRI O. RAJAGOPAL :
SHRI SANGH PRIYA GAUTAM :
DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to amend the minimum wages Act to do away with the definition of 'Adult' and 'Child'